न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 97/2023

बंधन बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम गृह फाईनेन्स लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय डी.एन.32, सैटर 5, सॉल्ट लेक सिटी, कलकत्ता—700091, शाखा कार्यालय— द्वितीय तल, कृष्णा कॉम्पलैक्स, कैलाशपुरी, टोंक रोड, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राकेश दयाराम चौधरी

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुशील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश
2. श्री ओमप्रकाश पुत्र नगीना सिंह

पता— (1) नैन गेस्ट हाउस, रिलायन्स टॉवर वाली गली, उदयपुरा रोड, बालाजी जिला दौसा (राज0) 303509

पता— (2) खसरा नंबर 426/378, आराजी खसरा नं0 522/378 (न्यू) ग्राम उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0) 303509

... अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 ऋणी/जमानती से बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा लेकर बैंक को दिलाये जाने के लिए।

उपस्थिति : श्री महेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांकः 06.12.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बंधन बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम गृह फाईनेन्स लिमिटेड) ने अप्रार्थी/ऋणी को 40,00,000/—(रूपये चालीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

जिला कलेक्टर,दौसा

.....निरंतर 2 पर

अधिवक्ता प्रार्थी बंधन बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम गृह फाईनेन्स लिमिटेड) को सुना गया। हमने प्रार्थी बंधन बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम गृह फाईनेन्स लिमिटेड) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बंधन बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम गृह फाईनेन्स लिमिटेड) को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति खसरा नंबर 426/378, आराजी खसरा नं0 522/378 (न्यू) ग्राम उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि संपत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका कुल क्षेत्रफल 506.04 वर्गमीटर है जो श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री नगीना सिंह के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बंधन बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम गृह फाईनेन्स लिमिटेड) को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा